327
12/9/12

खण्ड - 9

सत्यमेव जयते

संख्या - 13,16,19

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि : 12 जुलाई, 1988 ई०
शुक्रवार, तिथि : 15 जुलाई, 1988 ई०
बुधवार, तिथि : 20 जुलाई, 1988 ई०

परिवहन निगम में घाटे का औचित्य

घ-2. श्री सत्यनारायण दुदानी - क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य पथ-परिवहन निगम को अब तक मूल 110 करोड़ रु० का शुद्ध घाटा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि घाटे की दर 15 करोड़ वार्षिक है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस घाटे के लिये कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेवार हैं एवं उन पर सरकार द्वारा कौन-सी कार्रवाई की जा रही है?

प्रभारी मंत्री, परिहवन विभाग - (1) बिहार राज्य पथ-परिवहन निगम को वर्ष 1986-87 तक अनुमानत: 113 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(2) वर्ष 1986-87 तक अनुमानित घाटा औसतन लगभग 5 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ है।

(3) घाटे की जिम्मेवारी किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, अत: कार्रवाई करना संभव नहीं है।

श्री राम को प्रतिनियोजित करने का औचित्य

थ-43. श्री समसु जोहा - क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य हरिजन सहकारिता विकास निगम पटना में कार्यरत सहायक अभियंता श्री देवमुनी राम को जनवरी, 1987 में प्रति नियोजित किया गया है, यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

प्रभारी मंत्री, कल्याण विभाग - (1) श्री देवमुनी राम, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग की सेवायें जल श्रोत विकास एवं बाढ़-नियंत्रण विभाग की अधिसूचना संख्या 740, दिनांक 21 दिसम्बर 1986 द्वारा कल्याण विभाग के अधीन बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० के अभियंत्रण कोषांग में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी गयी है। तदनुसार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या 53, दिनांक 5 जनवरी 1987 द्वारा इन्हें विभाग के अभियंत्रण कोषांग में पदस्थापित किया गया है। निगम के अभियंत्रण कोषांग का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिये आवासीय विद्यालय/छात्रावास भवनों इत्यादि का निर्माण करना है। निर्माण-कार्य कल्याण विभाग द्वारा कराया जाता है।

परियोजना पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किए जाने का औचित्य

झ-294. श्री समसु जोहा - क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के शाहपुर कमाल प्रखंड में अभी तक वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है जिसका कार्यालय तरबना ग्राम में अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वयस्क शिक्षा केन्द्र कार्यालय में अभी लालटेन, पुस्तक, सिलेट, पेंसिल ज्यों-का-त्यों रखा हुआ है। जिसे केन्द्र में नहीं भेजा गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि शाहपुर कमाल प्रखंड के 40 केन्द्रों पर अबतक परियोजना पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है;